न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 07/2017

सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी वजीतपुर तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का पंजाब। —अपीलार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र ताजुराम जाति कुम्हार निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. कृष्णलाल पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. इन्द्रा देवी पत्नी बलराम पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. अनीतादेवी पत्नी मोहनलाल पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी शेरावाला तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
5. विद्यादेवी पत्नी जयप्रकाश पुत्री ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी कुम्हारांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर/उप पंजीयक चूनावढ।

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर दिनांक 16.11.2016

उपस्थितिः—

श्री रणजीत सारडीवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री कुलवंत सिंह संधू अभिभाषक रेस्पों. सं. 5
श्री महावीर धारणीया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 2 द्वारा एक दावा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के न्यायालय में पेश किया जिसमें प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा धारा 212 आरटीए का प्रा.पत्र पेश कर वाद के निर्णय तक चक 11 एल.एल. के मु.नं. 4 व 7 की 7.033है0 व मु.नं. 8 में 1.265है0 भूमि में 2.675है0 भूमि दौराने वाद रहन, बैय नहीं करने का निवेदन किया।

28/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उक्त प्रा.पत्र का अप्रार्थी सं. 1 , 3 से 5 ने जबाब पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 16.11.2016 को प्रार्थीया का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थीया अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया ओमप्रकाश की पुत्री है। विवादित भूमि में प्रार्थीया का हक व हिस्सा बनता है। यदि दौराने दावा भूमि का बेचान हो जाता है तो अपीलांट के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। प्रार्थीय ने अधी. न्यायालय में धारा 212 का प्रा.पत्र पेश किया जो अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रा.पत्र धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. सं. 5 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीया का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था। अधी. न्यायालय ने प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विवादित भूमि में अपीलांट का हक व हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। यदि दौराने वाद भूमि का किसी प्रकार से हस्तांतरण हो जाता है तो पक्षकारों के मध्य अनावश्यक रूप से विवाद बढने की सम्भावना रहेगी। क्योंकि पक्षकार आपस में भाई बहन है और ओमप्रकाश के वारिसान है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक रूप से विवाद न बढने को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2016 निरस्त किया जाता है एवं अधी. न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.03.2016 को वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर